राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 1479/2016/अलवर
2. अपील संख्या – 1480/2016/अलवर
3. अपील संख्या – 1481/2016/अलवर
4. अपील संख्या – 1482/2016/अलवर
5. अपील संख्या – 1483/2016/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत प्रतिकरापवंचन, भिवाडी, अलवर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स सनहित ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज प्रा0लि0,
जी 418, रीको इण्ड0 एरिया, भिवाडी, अलवर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित :
श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.02.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त पांचों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पृथक–पृथक प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 15.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपील निर्णयों में अपास्त की गई मांग राशि, जिनके विरूद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन भिवाडी (जिन्हें आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा यें अपीलें पेश की गई है, जिनका विवरण निम्नतालिकानुसार है :–

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	कर निर्धा. वर्ष	अन्तर कर	ब्याज	शास्ति
1479/16	158/सीएसटी/2014-15	31.10.14	09–10	3,55,850	2,23,261	7,11,700
1480/16	159/सीएसटी/2014-15	31.10.14	10–11	1,64,193	82,721	3,28,386
1481/16	160/सीएसटी/2014-15	31.10.14	11–12	10,13,832	3,85,459	20,27,664
1482/16	161/सीएसटी/2014-15	31.10.14	12–13	1,63,003	41,827	3,26,006
1483/16	162/सीएसटी/2014-15	31.10.14	13–14	6,64,875	88,429	13,29,750

2. इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय प्रतिकरावंचन, भिवाडी (जिन्हें आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दि. 06.05.2014 को किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा Electric Control Penal, Parts & Accessories का विनिर्माण कर राज्य के भीतर व अन्तर्राज्यीय विक्रय किया जाता है। वक्त सर्वेक्षण जांच दल द्वारा पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में अपने उत्पाद Electric Control Penal,

लगातार.....2

Parts & Accessories की बिक्री राज्य के भीतर केपीटल गुडस के रूप में @ 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत की दर से की जा रही है तथा इसी प्रकार बिना "सी" फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री भी @ 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत की दर से की जा रही है। जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F12(15)FD/Tax/2008-pt-54 दिनांक 27.08.2008 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के भीतर विनिर्माणकर्ता पंजीकृत व्यवसाईयों द्वारा केपीटल गुडस का प्रमाण पत्र देने पर ही Electric Control Penal, Parts & Accessories की बिक्री राज्य के भीतर पंजीकृत विनिर्माणकर्ताओं को @ 4/5 प्रतिशत की दर से की जा सकती है अन्यथा Electric Control Penal, Parts & Accessories पर वेट अधिनियम की अनुसूची –V के अन्तर्गत आलौच्य अवधियों में @ 12.5/14 प्रतिशत की दर से करदेयता है। अतः उक्त अधिसूचना का लाभ केवल राज्य में पंजीकृत विनिर्माणकर्ताओं को ही केपीटील गुडस के रूप में प्रयोग करने की शर्त पर प्राप्त है, जबकि उक्त उत्पाद की बिना "सी" फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर आलौच्य अवधियों में @ 12.5/14 प्रतिशत की दर से करदेयता हैं, इस प्रकार व्यवसायी फर्म द्वारा जानबूझकर करापवंचन की मंशा से आलौच्य अवधियों में उक्त Electric Control Penal, Parts & Accessories की बिना "सी" फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री @ 12.5/14 प्रतिशत के स्थान पर @ 4/5 प्रतिशत की दर से किया जाना पाये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसायी फर्म के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 सपठित के.बि.क.अधि. की धारा 9 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया जाकर प्रकरण अपीलीार्थी 'सशक्त अधिकारी' को स्थानान्तरित किये गये। प्रस्तुत प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सशक्त अधिकारी ने अंतर कर 8.5/10 प्रतिशत से आरोपित करते हुए ब्याज एवं शास्ति का भी आरोपण किया। जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपीलें स्वीकारते हुए प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किए, उक्त आदेशों के विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय में सुनवाई का अवसर देने हेतु सभी प्रकरण प्रतिप्रेषित किए गए हैं वे तथ्यों के आधार पर अनुचित हैं क्योंकि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दिया गया था। यह भी कथन किया कि अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में बिना घोषणा पत्र के कर दर 14.5 प्रतिशत का आरोपण भी सही है जिसके गुणावगुण पर निर्णय नहीं किया गया, अतः अपीलीय आदेश अपास्तनीय है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है क्योंकि व्यवहारी के कर निर्धारण आदेश को बिना समुचित सुनवाई के ही पारित किया गया है एवं प्रतिप्रेषण आदेश में भी केवल यही निर्णय किया गया है कि सुनवाई का अवसर देकर तीन माह में पुन आदेश पारित करें। कथन किया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अनुसार बिना सुनवाई आदेश पारित करना विधिसम्मत नहीं है अतः

लगातार.....3

विभाग की अपील अस्वीकार करने का तर्क दिया। यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी को 'C' फार्म प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं दिया गया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. प्रस्तुत अपील निर्णय एवं कर निर्धारण आदेश तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी ने विवादित कर दर पर कोई टिप्पणी नहीं की है बल्कि केवल यह टिप्पणी की है कि अन्तिम नोटिस दिनांक 24.07.2010 के लिए दिया गया था एवं आदेश दिनांक 31.10.2014 को अर्थात तीन माह बाद पारित किया गया। 24.07.2010 के बाद कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाना अवधारित किया गया।

अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल न्यायहित में सुनवाई का समुचित अवसर दियें जाने हेतु अपील स्वीकार कर यह विशिष्ट निर्देश दिया गया है कि अपील आदेश प्राप्ति के तीन माह के भीतर पुनः आदेश पारित करें। न्यायिक व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया कि किसी भी मामले में आदेश के पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना विधिक अनिवार्यता है एवं नैसर्गिक न्याय के हित में अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल सुनवाई का अवसर देने मात्र का निर्देश दिया है उसमें किसी तरह का विधि का बिन्दु नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने गुणावगुण पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है, ऐसी स्थिति में सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित करने के निर्देश देने का निर्णय विधिक एवं न्यायसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

9.2.2017
(मदन लाल)
सदस्य